महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या- 1522/9-1-2019-62केएमए / 2000

प्रेषक,

संजय कुमार सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मेला अधिकारी,
कुम्भ मेला, प्रयागराज।

नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 22 नवम्बर, 2019

विषयः कुम्भ मेला, प्रयागराज, 2019 के अवसर पर मेले की ड्यूटी में लगे हुए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, मेला अधिष्ठान व संबंधित नागर निकायों के अधिकारियों / कर्मचारियों का विशेष / दैनिक भत्ता दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-6695 / व0लि0-कु0मे0 2019, दिनांक 30.03.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कुम्भ मेला 2019, प्रयागराज की अवधि में उस क्षेत्र में वस्तुओं के मूल्य में होने वाली वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए श्री राज्यपाल महोदय कुम्भ मेला में कार्यरत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, मेला अधिष्ठान व मेला क्षेत्र में स्थित नागर निकायों के **अराजपत्रित अधिकारियों / कर्मचारियों,** जिनका अधिकतम वेतनमान 7वें वेतन आयोग की मैट्रिक संरचना क्रमांक-7 पर अंकित वेतनमान रू0-47600 है, को दिनांक 01.01.2019 से 04.03.2019 तक की अवधि में उनके मूलवेतन का 15 प्रतिशत मेला भत्ता, अधिकतम रू0-3500 / - निम्न शर्तों के साथ भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) विशेष भत्ता केवल उन्हीं अधिकारियों / कर्मचारियों को दिया जायेगा, जो मेला क्षेत्र में सीधे तैनात किये गये हैं और जिनके संबंध में मेलाधिकारी, कुम्भ मेला, प्रयागराज द्वारा इस आशय का प्रमाण प्रदान किया गया हो कि संबंधित अधिकारी / कर्मचारी सीधे कुम्भ मेला की ड्यूटी में तैनात हैं।

(2) संबंधित विभागों द्वारा अपने कोष से विशेष भत्ता का भुगतान किया जाय, इसके लिये शासन द्वारा कोई अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नही की जायेगी।

(3) प्रश्नगत विशेष भत्ता केवल उन्हीं अधिकारियों / कर्मचारियों को अनुमन्य होगा जिन्हें नियमानुसार विशेष वेतन / यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं है।

(4) कुम्भ मेला क्षेत्र में स्थित नगरीय स्थानीय निकायों में उन्हीं अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रश्नगत विशेष भत्ता स्वीकृत किया जायेगा, जो निकाय की नियमित सेवा में है और मेला कार्य से सीधे सम्बद्ध हैं। उन्हें मद संख्या 1 में निहित मेलाधिकारी, कुम्भ मेला के प्रमाण पत्र के आधार पर निकाय निधि से विशेष भत्ता ग्राह्य होगा।

(5) जितने दिनों तक कोई सरकारी कर्मचारी अवकाश पर रहा है या मेला ड्यूटी नहीं की है उतनी अवधि के विशेष भत्ते की कटौती अनुपातिक रूप से करते हुए भुगतान किया जायेगा।

3. उक्त के अतिरिक्त कुम्भ मेला, 2019 में ड्यूटी पर आने वाले उन अधिकारियों / कर्मचारियों को जिन्हें पैतृक विभाग से पूर्व से ही विशेष वेतन / यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता ग्राह्य नहीं है, को निम्न शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन दैनिक भत्ता दिये जाने पर विचार किया जा सकता हैः-

(1) प्रभारी अधिकारी, कुम्भ मेला को छोड़कर अन्य अधिकारियों / कर्मचारियों, जो प्रयागराज के अतिरिक्त अन्य संस्थानों से मेला ड्यूटी पर अस्थायी स्थानांतरण पर कुम्भ मेला, 2019 में नियुक्त किये गये है और जिन्हें मेला भत्ता स्वीकृत नहीं किया गया है, को प्रयागराज में अवस्थान की सम्पूर्ण अवधि में प्रयागराज में अनुमन्य पूरी दर पर देय दैनिक भत्ता ग्राह्य होगा। उक्त दैनिक भत्ता वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के अधीन नियम-23(सी)(6) की शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन ही अनुमन्य होगा। इन अधिकारियों / कर्मचारियों को अपनी नियुक्ति के स्थान से प्रयागराज आने और वापसी हेतु दौरे की भांति साधारण यात्राओं के नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता दिया जायेगा। परन्तु स्वीकृत दैनिक भत्ता उस दशा में नहीं दिया जायेगा, जब अधिकारी / कर्मचारी सरकारी कार्यवश प्रयागराज से बाहर जाते हैं। ऐसे मामले में नियमानुसार भत्ता देय होगा।

(2) अवकाश पर जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को दैनिक भत्ता तभी देय होगा, जब वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2, भाग–2 से 4 के सहायक नियम–149 से 152–ङ की शर्त पूरी हो जायें तथा इनमें निर्धारित प्रमाण पत्र दिया जाए।

(3) प्रयागराज में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को जो मेला ड्यूटी पर लगाये जाते है, या जिन व्यक्तियों को मेला के लिये सृजित पदों पर विशेष तौर से भर्ती किया गया है, को कोई दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

4. उपरोक्तानुसार जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को विशेष भत्ता/दैनिक भत्ता स्वीकृत किया जा रहा है उन्हें कुम्भ मेला के अतिरिक्त कार्यभार के फलस्वरूप किसी प्रकार का मानदेय अनुमन्य नहीं होगा।

5. उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–जी–1–339यू.ओ./दस–2019 ,दिनांक 18 नवम्बर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजय कुमार सिंह यादव)
विशेष सचिव

संख्या–1522(1)/9–1–2019–तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3- आयुक्त, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज ।
4- जिलाधिकारी, प्रयागराज ।
5- मेला अधिकारी, कुम्भ मेला, प्रयागराज ।
6- कोषाधिकारी, प्रयागराज ।
7- वित्त एवं लेखाधिकारी, कुम्भ मेला प्रयागराज ।
8- नगर आयुक्त, नगर निगम, प्रयागराज ।
9- अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, झूँसी, प्रयागराज ।
10- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज ।
11- वित्त (सामान्य) अनुभाग–1/2/3
12- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–9
13- कम्प्यूटर सेल को नगर विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(बृजेन्द्र सिंह)
अनु सचिव